

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

आवास एवं शाहरी नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 28 सितम्बर, 2011

विषय: नजूल भूमि के प्रबन्धन और निस्तारण के सम्बन्ध में  
वर्तमान नजूल नीति में संशोधन।

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल  
भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति है और नजूल भूमि के प्रबन्धन और इसके

1. संख्या-1562/9-आ-4-92-293 एन/90 दिनांक 23.05.92
2. संख्या-3632/9-आ-4-92-293 एन/90 दिनांक 02.12.92
3. संख्या-2093/9-आ-4-92-293 एन/90 दिनांक 03.10.94
4. संख्या-3082/9-आ-4-95-628 एन/95 दिनांक 01.01.96
5. संख्या-82/9-आ-4-96-629 एन/95 दिनांक 17.02.1996
6. संख्या-148/9-आ-4-97-260 एन/97 दिनांक 28.02.97
7. संख्या-2029/9-आ-4-97-260 एन/97 दिनांक 26.09.97
8. संख्या-2268/9-आ-4-97-704 एन/97 दिनांक 01.12.98
9. संख्या-2873/9-आ-4-02-152 एन/2000टीसी दिनांक 10.12.02
10. संख्या-1642/आठ-4-06-137 एन/04 दिनांक 04.08.06
11. संख्या-1958/8-4-08-266 एन/08 दिनांक 21.10.2008
12. संख्या-1171/8-4-09-266 एन/08 दिनांक 26.05.2009
13. संख्या-318/8-4-11-266 एन/08 दिनांक 17.02.2011

निस्तारण तथा फी-होल्ड  
किये जाने के संबंध में  
समय-समय पर पार्श्वाकित  
शासनादेशों के अन्तर्गत  
निर्देश निर्गत किये गये हैं।

नजूल भूमि के प्रबन्धन और  
निस्तारण के संबंध में विभाग  
द्वारा की गयी समीक्षाओं में  
यह पाया गया कि  
समय-समय पर निर्गत  
शासनादेशों में की गयी  
व्यवस्थाओं में जनहित में

कतिपय संशोधन किये जाने आवश्यक हैं, अतः सम्यक् विचारोपरान्ता श्री राज्यपाल महोदय जनहित में तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन एवं व्यवस्था लागू किये जाने पर अपनी सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं।

1. रिक्त नजूल भूमि पर अवैध कब्जेदारों के पक्ष में नजूल भूमि को विनियमित किया जाना—

नजूल फी-होल्ड नीति के प्रभावी रहते हुए शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आये हैं जिनमें ऐसी नजूल भूमि, जो पदटागत नहीं है, पर एक लम्बी अवधि से कब्जेदार विद्यमान है और कब्जे की भूमि पर अपना भवन निर्मित कराकर उसमें निवास कर रहे हैं अथवा व्यवसाय कर रहे हैं तथा वे भूखण्ड पर निर्मित भवन का हाउस टैक्स, जलशुल्क (वाटर चार्ज), बिजली का बिल एवं टेलीफोन बिल आदि का भुगतान कर रहे हैं तथा उक्त भूखण्ड पर निर्मित भवन के आधार पर मतदाता सूची में भी उनका नाम है। अतः ऐसी नजूल भूमि, जो पदटागत नहीं है, में अवैध कब्जों से आच्छादित नजूल भूमि को निम्नवत् विनियमित किया जायेगा :—

- (क) सार्वजनिक स्थलों, पार्कों, सड़क की पटरियों, जल निकासी और शासकीय उपयोग के लिए आवश्यक नजूल भूमि को छोड़कर केवल दिनांक 01.12.1998 के पूर्व के अवैध कब्जों (आवासीय/अनावासीय) की नजूल भूमि (जो पदटागत नहीं है) को ही विनियमित किया जाएगा। इन अवैध कब्जेदारों द्वारा नजूल भूमि को विनियमित किए जाने हेतु द्रेज़री चालान के माध्यम से 25 प्रतिशत स्वमूल्यांकन धनराशि जमा कर आवेदन पत्र दिया जाएगा जिसमें नजूल भूमि का क्षेत्रफल, उसका सीमांकन, नजूल भूमि पर अवैध कब्जे की तिथि का विवरण होगा और अवैध कब्जे के प्रमाण स्वरूप प्रश्नगत नजूल भूमि पर निर्मित भवन पर भुगतान किए जा रहे हाउस टैक्स की रसीद, देय जल शुल्क की रसीद, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आदि की सत्यापित प्रतियां संलग्न होंगी।

- (ए) अवैध कब्जेदारों (आवासीय/अनावासीय) की नज़ूल भूमि के अधिकतम क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर को ही अवैध कब्जेदार के पक्ष में प्रभावी वर्तमान सर्किल रेट का 100 प्रतिशत लेकर विनियमित किया जाएगा। जहां पर अवैध कब्जे की भूमि 300 वर्गमीटर से अधिक है उनमें अवैध कब्जेदारों से 300 वर्ग मीटर से अधिक अतिरिक्त भूमि का कब्जा वापस प्राप्त करने के उपरान्त ही उसके पक्ष में विनियमितीकरण की कार्यवाही की जाएगी। अतिरिक्त भूमि का निस्तारण नीलामी/निविदा के माध्यम से किया जाएगा।
- (ग) यदि अवैध कब्जेदार द्वारा महायोजना/ले-आऊट प्लान में निर्धारित भू-उपयोग के अनुरूप भूमि का प्रयोग किया जा रहा है अथवा महायोजना/ले-आऊट प्लान में भू-उपयोग वाणिज्यिक है, परन्तु अवैध कब्जेदार द्वारा उसका आवासीय में प्रयोग किया जा रहा है तो अवैध कब्जेदार के पक्ष में वर्तमान में प्रभावी सर्किल रेट का 100 प्रतिशत लेकर विनियमित किया जाएगा। यदि महायोजना/ले-आऊट प्लान में भू-उपयोग आवासीय है, परन्तु अवैध कब्जेदार द्वारा अनधिकृत रूप से व्यवसायिक अथवा अन्य उच्च उपयोग में प्रयोग किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अधीन नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन होने की स्थिति में ही अवैध कब्जेदार के पक्ष में वर्तमान में प्रभावी सर्किल रेट का 100 प्रतिशत लेकर विनियमित किया जाएगा।
- (घ) इस नियित जिलाधिकारियों द्वारा अभिलेखों का सत्यापन कर परीक्षणोपरान्त अवैध कब्जों को विनियमित किये जाने की कार्यवाही यह सुनिश्चित करते हुए की जाएगी कि प्रश्नगत अवैध कब्जों की नज़ूल भूमि कभी किसी को आवंटित नहीं की गयी है। जनपद लखनऊ में नज़ूल भूमि को अवैध कब्जेदारों के पक्ष में विनियमित किये जाने का अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को होगा। यह सुविधा केवल 6 माह के लिए अनुमन्य होगी।
- (ड.) इस छः माह की अवधि में प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण प्रत्येक दशा में अगले दो माह के भीतर कर दिया जायेगा और अस्वीकृत प्रकरणों में स्वमूल्यांकन की धनराशि वापस कर दी जायेगी और किसी भी दशा में इस अवधि के उपरान्त कोई

प्रकरण लम्बित नहीं रखा जायेगा और न ही रवाल्पांकन की धनराशि वापसी हेतु अवशेष रहे ।

(च) इस अवधि में आयेदन न करने पर अवैध कब्जा हटाकर भूमि का नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा ।

2. कृषि अथवा बागवानी पट्टे पर आवंटित नजूल भूमि का निस्तारण

नजूल भूमि को कृषि अथवा बागवानी पट्टे पर दिये जाने की व्यवस्था शासनादेश संख्या-3632/9-आ-4-92-293एन/90 दिनांक 02.12.1992 के प्रस्तर-2 (3) द्वारा समाप्त की जा चुकी है और शासनादेश संख्या-2093/9-आ-4-94-293एन/90 दिनांक 03.10.1994 तथा शासनादेश संख्या-82/9-आ-4-96-629एन/95,दिनांक 17.02.1996 में कतिपय शर्तों के अधीन बागवानी/कृषि पट्टे की नजूल भूमि, जिनके पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है और जिसका उपयोग सार्वजनिक मार्ग को ढौङा करने अथवा अन्य सामुदायिक उपयोग के लिए प्रस्तावित नहीं है, को छी-होल्ड किये जाने की व्यवस्था है। उक्त व्यवस्था के क्रम में अब ऐसे कृषि अथवा बागवानी प्रयोजन हेतु दिये गये पट्टे जिनकी अवधि समाप्त हो गयी हो, ऐसी नजूल भूमि में से मार्ग ढौङीकरण अथवा सार्वजनिक सेवाओं जैसे-विद्युत सब-स्टेशन/ ट्रांसफार्मर की स्थापना एवं पार्कों आदि के विकास आदि के लिए सर्वप्रथम भूमि को आरक्षित किया जायेगा और उस पर पुनर्प्रवेश कर कब्जा लिया जायेगा। कृषि बागवानी पट्टे की जो भूमि सार्वजनिक प्रयोग के लिए उपर्युक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक न पायी जाय उसे महायोजना/लेआउट प्लान में खुला क्षेत्र/हरित पट्टी/कृषि बागवानी हेतु भू-उपयोग निर्धारित होने की दशा में पट्टेदार के पक्ष में 10 प्रतिशत प्रीमियम तथा साधारण वार्षिक किराया लेकर 10 वर्ष के लिए इस शर्त के साथ नवीनीकरण किया जायेगा कि उसके द्वारा उक्त भूमि को केवल कृषि/बागवानी के उपयोग में ही लाया जायेगा। ऐसे नवीनीकरण हेतु शासन की अनुमति आवश्यक होगी। उक्त शर्तों के उल्लंघन की दशा में पट्टा स्वतः निरस्त समझा जायेगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि पर पुनर्प्रवेश किया जायेगा। यदि पट्टेदार नवीनीकरण हेतु इच्छुक नहीं है तो उक्त नजूल भूमि पर पुनर्प्रवेश प्राप्त कर उससे सम्बन्धित विकास प्राधिकरण अथवा स्थानीय निकाय को अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। कृषि-बागवानी के समाप्त पट्टे की भूमि का भू-उपयोग महायोजना ले आउट प्लान में खुला क्षेत्र/कृषि बागवानी से भिन्न है तो इसे निविदा के

मान्यम से महायोजना ले आउट प्लान में निर्धारित भू-उपयोग के लिए निस्तारित किया जायेगा।

3. पटटे की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में नजूल भूमि को फी-होल्ड किये जाने की व्यवस्था -

नजूल नीति विषयक शासनादेश संख्या-2873/9-आ-4-2002-152एन/2000टीसी, दिनांक 10.12.2002 के प्रस्तर-6 में सार्वजनिक संस्थाओं जिनके द्वारा चैरिटेबुल कार्य नहीं किया गया है और पटटे की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, के लिए पटटे की शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में आवासीय भू-उपयोग के मामले में प्रचलित सर्किल रेट के 60 प्रतिशत और अनावासीय भू-उपयोग के मामले में प्रचलित सर्किल रेट के 80 प्रतिशत की दर पर फी-होल्ड किये जाने की व्यवस्था है और शासनादेश संख्या-1956/8-4-08-266एन/08, दिनांक 21.10.08 के प्रस्तर-2(8) में यह व्यवस्था की गयी है कि अभियान घलाकर यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पटटाधारकों द्वारा पटटे की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है या किया जा रहा है। यदि कहीं भी पटटे की शर्तों का उलंघन किया गया/किया जा रहा हो तो पटटा निरस्त कर नजूल भूमि पर पुनः कब्जा प्राप्त कर उक्त भूमि के नियमानुसार निस्तारण की व्यवस्था भी की जायेगी। उक्त व्यवस्था को समाप्त करते हुए अब पटटे की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में नजूल भूमि को पटटेदार या पटटेदार के विधिक उत्तराधिकारी या केता जिसका अभिलेखों में नामान्तरण हो चुका है अथवा ऐसे नामांकित व्यक्ति जिसके पक्ष में रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट दू सेल कर पूर्ण स्टाप्स छयूठी अदा की गई है, के पक्ष में नजूल भूमि को निम्नानुसार फी-होल्ड किया जायेगा:-

- (1) जिस पटटेदार द्वारा पटटे में निर्दिष्ट भू-उपयोग का उल्लंघन करते हुए उच्च भू-उपयोग में प्रयोग किया जा रहा है, ऐसी भूमि का उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अधीन नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन होने की स्थिति में ही पटटेदार के पक्ष

गे शासनादेश दिनांक 10.12.2002 के प्रस्तार-6 के अनुसार फी-होल्ड शुल्क लेवर 'फी-होल्ड' किया जाएगा।

- (2) पट्टे की अन्य शर्तों के उल्लंघन जैसे अवैध हस्तान्तरण, अवैध उप-विभाजन या सक्षम स्तर से बिना अनुमति के विक्रय किया गया हो, की दशा में पट्टेदार से प्रभावी सर्किल रेट के 100 प्रतिशत पर नजूल भूमि का फी-होल्ड किया जायेगा।
- (3) उक्त सुविधा 6 माह के लिए अनुमन्य होगी। तदुपरान्त ऐसे पट्टे की भूमि जिनमें उक्त शर्तों का उल्लंघन हुआ है उन पर बेदखली की कार्यवाही करते हुए नजूल भूमि पर पुनः प्रवेश करने की कार्यवाही की जायेगी।
4. नजूल भूमि को फी-होल्ड किये जाने हेतु लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण।

शासन के संज्ञान में आया है कि नजूल भूमि को फी-होल्ड किये जाने हेतु नजूल नीति के अनुसार पट्टेदार अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी अथवा केता अथवा नामिनी द्वारा 25 प्रतिशत स्वमूल्यांकन धनराशि ट्रेजरी घालान के माध्यम से जमा कर आवेदन किया गया और उसके पश्चात नजूल भूमि को फी-होल्ड किये जाने के संबंध में कोई रुचि नहीं ली गई तथा लम्बे समय के बाद आवेदक द्वारा आवेदन करने की तिथि को प्रभावी सर्किल रेट पर मॉग पत्र (डिमान्ड नोट) निर्गत किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। कतिपय मामलों में यह भी संज्ञान में आया कि जिले स्तर से उक्त आवेदन पत्रों पर सर्व आदि में अप्रत्याशित बिलम्ब किया गया या किसी विवाद की स्थिति के कारण आवेदन पत्र पर मॉग पत्र (डिमान्ड नोट) निर्गत नहीं किया गया। ऐसे मामलों में उक्त लम्बित आवेदन पत्रों का निम्नवत् निस्तारण किया जायेगा :—

- (1) पट्टागत नजूल भूमि को फी-होल्ड किये जाने हेतु लम्बित सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण 06 माह के अन्दर कर दिया जाये। ऐसे लम्बित आवेदन पत्र, जिनमें आवेदनकर्ता द्वारा सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी हों, का निस्तारण यदि उपर्युक्त 6 माह की अवधि में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी का

उत्तरपायित्व निर्धारित करते हुए कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उक्त अवधि के उपरान्त ऐसे लम्बित आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे और ऐसे आवेदन पत्रों जिनके साथ ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा की गयी 25 प्रतिशत स्वमूल्यांकन की धनराशि के साथ आवेदन किया गया है, में आवेदन की तिथि को प्रभावी नजूल नीति और प्रभावी सर्किल रेट पर फी-होल्ड की कार्यवाही की जायेगी तथा अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ जमा की जायेगी।

- (2) पदटागत नजूल भूमि को फी-होल्ड किये जाने हेतु अब प्रभावी नजूल नीति के अन्तर्गत जो भी आवेदन पत्र दिये जायेंगे, वे केवल 01 वर्ष के लिए मान्य होंगे और 01 वर्ष की अवधि ब्यतीत हो जाने पर ऐसे आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को स्वमूल्यांकन की धनराशि वापस कर दी जायेगी। इस एक वर्ष की अवधि में आवेदन की तिथि को लागू सर्किल रेट के आधार पर डिमाण्ड नोट दिया जाये।

5. नामित व्यक्ति के पक्ष में नजूल भूमि को फी-होल्ड किये जाने की व्यवस्था को समाप्त किया जाना।

नजूल भूमि के पदटेदार द्वारा नामित व्यक्ति के पक्ष में नजूल भूमि को फी-होल्ड किये जाने की व्यवस्था सर्वप्रथम शासनादेश संख्या-1300 /9-आ-4-96-629एन/95 टी.सी दिनांक 29.08.96 के प्रस्तर-1(3)(4) में की गयी थी और शासनादेश संख्या-2873/9-आ-4-2002-152एन/ 2002टी.सी दिनांक10.12.2002 के प्रस्तर-3 द्वारा उक्त व्यवस्था समाप्त कर दी गयी तथा शासनादेश संख्या-1956/आठ-4-08-266एन/08, दिनांक 21.10.2008 के प्रस्तर-2(4) द्वारा उक्त व्यवस्था पुनः बहाल कर दी गयी है। इस व्यवस्था के संबंध में मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या-35248/2010-जयसिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 16.07.2010 में दिये गये निर्देशों के दृष्टिगत उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 21.10.08 का प्रस्तर 2(4) जिसके द्वारा नामिनी के

पक्ष ने नजूल भूमि को फी-होल्ड किये जाने की व्यवस्था बहाल की गयी है, को समाप्त करते हुए अब ऐसे व्यक्ति जिनके पक्ष में क्य की जा रही सम्पत्ति (नजूल भूमि) को पटटेदार द्वारा रजिस्टर्ड एप्रीमेन्ट टू सेल किया गया हो और पूरी स्टाम्प शुल्क अदा किया गया हो, उसी व्यक्ति के पक्ष में ही नजूल भूमि को फी-होल्ड किया जायेगा।

**6. भू-धारक के भूखण्ड/भवन के साथ स्थित नजूल भूमि को फी-होल्ड किया जाना**

शासनादेश संख्या—1956/8-4-08-266एन/08, दिनांक 21.10.08 के प्रस्तर—2(6) और संपर्चित शासनादेश संख्या—1171/8-4-09-266एन/08 दिनांक 26.05.2009 के प्रस्तर—1(2) में यह व्यवस्था है कि “ऐसी नजूल भूमियां जो भू-धारक या पटटाधारक या उनके विधिक उत्तराधिकारी/नामित की भूमि के साथ स्थित हैं तथा उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं तथा किसी अन्य के उपयोग की सम्भावना नहीं प्रतीत होती है। ऐसी भूमि का विनियमितीकरण भू-धारक या पटटाधारक या उनके विधिक उत्तराधिकारी/नामित के पक्ष में वर्तमान सर्किल रेट शत-प्रतिशत प्राप्त कर फी-होल्ड कर दिया जायेगा। ऐसे मामलों में शासन की अनुमति आवश्यक होगी।”

उक्त व्यवस्था में लगी नजूल भूमि का क्षेत्रफल का उल्लेख न होने के कारण अब निम्न व्यवस्था की जाती है :—

ऐसी नजूल भूमि जो भू-धारक या पटटाधारक या उनके विधिक उत्तराधिकारी की भूमि के साथ स्थित है तथा उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है तथा किसी अन्य के उपयोग की सम्भावना नहीं प्रतीत होती है, ऐसी भूमि में से भू-धारक की निजी भूमि के क्षेत्रफल के अधिकतम समतुल्य भाग तक ही नजूल भूमि को भू-धारक या पटटाधारक या उनके विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में वर्तमान सर्किल रेट के 100 प्रतिशत पर फी-होल्ड किया जा सकेगा और शेष भूमि का निस्तारण नीलामी/निविदा के माध्यम से किया जायेगा। ऐसे मामलों में शासन की अनुमति आवश्यक होगी।

**7. सामुदायिक उपयोग हेतु बस अड्डों, सामुदायिक/सांस्कृतिक/सामाजिक क्लबों आदि की समाप्त पटटे की भूमि को नवीनीकृत किया जाना**

ऐसी नजूल भूमि जो सामुदायिक उपयोग हेतु बस अड्डों, सामुदायिक क्लबों आदि को पटटे पर दी गयी थी और पटटावधि समाप्त हो चुकी है, के

संबंध में यह आगरा की पड़ी है कि पट्टागत भूमि को जिस भाग पर नियमित निर्माण किया गया है, उक्त निर्मित क्षेत्र को पट्टेदार के पक्ष में सक्रिय रेट का 100 प्रतिशत प्रीमियम एवं 10 प्रतिशत सामान्य वार्षिक किराये की दर पर 10 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जायेगा। निर्मित क्षेत्र के साथ लगे हुए खुले क्षेत्र की भूमि को इस शर्त के साथ पट्टेदार के पक्ष में 10 प्रतिशत प्रीमियम तथा सामान्य वार्षिक किराया लेकर 10 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जायेगा कि खुले क्षेत्र को अन्यथा प्रयोग करने की दशा में राज्य सरकार द्वासा पुनः प्रवेश कर नीलामी/निविदा के माध्यम से निस्तारण किया जायेगा। उक्त सुविधा तभी अनुमन्य होगी जब कि उक्त बलबों की कार्यकारिणी समिति में शासन द्वारा नामित एक सदस्य रखा जायेगा। ऐसे नवीनीकरण हेतु शासन की अनुमति आवश्यक होगी। पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में पट्टा स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

2— उपर्युक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। नजूल भूमि के प्रबन्ध और निस्तारण के संबंध में उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या—ई—८—२७१०/दस—२०११ दिनांक २८ सितम्बर, २०११ से प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।


भवदीय,

रवीन्द्र सिंह  
प्रमुख सचिव।

संख्या—१५६६(१)/८—४—१० तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2— प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री उ०प्र०।
- 3— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
- 4— महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 5— समस्त उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
- 6— सचिव, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 7— निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
- 8— वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग—८
- 9— गोपन अनुभाग—१
- 10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
 ( एच०पी०सिंह )  
 उप सचिव।